मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

पुस्तक क्रय नीति 2011-2012

******

मध्यप्रदेश विधान सभा पुस्तकालय,भोपाल

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

पुस्तक क्रय नीति

1 **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-** यह नीति मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय पुस्तक क्रय नीति कहलायेगी तथा यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुस्तकालय समिति की अनुसंशा उपरांत माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा अनुमोदित दिनांक से लागू होगी।

2 **परिभाषाएँ :-**

(1) पुस्तक क्रय नीति से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के क्रय में अपनायी जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया ।

(2) माननीय अध्यक्ष से अभिप्रेत है अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा ।

(3) पुस्तकालय समिति से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 233 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति।

(4) सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव

(5) (अ) 'स्वप्रकाशन' से अभिप्रेत है ऐसा प्रकाशन जिसे पुस्तक के लेखक/विक्रेता/प्रकाशक ने स्वयं प्रकाशित किया हो ।

(ब) 'सामान्य पुस्तकों' से अभिप्रेत सामान्य श्रेणी की उन पुस्तकों से है जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता विषयक पुस्तकें तथा इस में ऐसी पुस्तकें भी सम्मिलित होंगी जिनका उल्लेख कंडिका क्रमांक 5 (3से 7) में न हो।

(स) 'शासकीय प्रकाशन' से अभिप्रेत है वह प्रकाशन जो शासकीय संस्थान एवं अर्धशासकीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(द) 'एनसाइक्लोपेडिया'/'शब्दकोश' से अभिप्रेत है ऐसी खण्डों (व्हाल्यूम) वाली पुस्तकें जिसमेंएनसाइक्लोपेडिया अथवा विश्वकोश अथवा शब्दकोश लिखा हुआ हो।

(ई) 'विधिक प्रकाशन' से अभिप्रेत है ऐसी पुस्तकें जो कानून/विधि/अधिनियम/नियम/विधिक विषयों पर हों एवं इनसे संबंधित विश्वकोश।

(6) 'शत-प्रतिशत' प्रदाय से अभिप्रेत है पुस्तक विक्रेता द्वारा प्रदाय की जाने वाली आदेशित पुस्तकों का कम से कम 95 प्रतिशत।

(7) 'निर्धारित अवधि' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पुस्तक प्रदाय हेतु तय की गई अवधि।

(8) 'निर्धारित छूट' से अभिप्रेत पुस्तकालय समिति द्वारा अनुशंसित एवं माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा अनुमोदित पुस्तकों पर दी जाने वाली छूट।

(9) 'पंजीबद्ध पुस्तक विक्रेता' से अभिप्रेत है वे पुस्तक विक्रेता जिनकी निविदा मान्य कर पुस्तक प्रदाय हेतु अनुबंधित किया गया हो।

(10) 'अनुसूची' से अभिप्रेत पुस्तक क्रय नीति में संलग्न अनसूची से है।

(11) डिफाल्टर पुस्तक विक्रेता से अभिप्रेत है ऐसे पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक जो विनिर्दिष्ट तिथि तक एप्रुवल हेतु पुस्तकें विधान सभा पुस्तकालय में उपलब्ध न करा सकें या क्रयादेश में उल्लिखित पुस्तकें विनिर्दिष्ट तिथि तक विधान सभा पुस्तकालय में उपलब्ध न करा सकें. ऐसा पुस्तक विक्रेता डिफाल्टर आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विधान सभा पुस्तकालय में पुस्तकें प्रदाय नहीं कर सकेगा.

(12) प्रकाशक/पुस्तक विक्रेता/पुस्तकों का वितरक से आशय द्वारा दिये गये केटलाग/सूचीपत्र में दर्शित पुस्तकों का प्रदायकर्त्ता से है।

(3) **उद्देश्य :-**

(1) मितव्ययी दरों पर पुस्तकालय में नवीनतम् प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

(2) यथा समय पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक पुस्तकालय में पुस्तकें लायें ।

(3) पुस्तकालय को समृद्धशाली बनाये जाने के लिए हर प्रकार की पुस्तकें पुस्तकालय में आयें।

(4) **पुस्तक क्रय नीति का प्रारंभ :-**माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन से इस क्रय नीति को यथावत या संशोधित रूप में आगे के वर्षों में भी लागू रखा जा सकेगा। जब तक किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

(5) **पुस्तकों के क्रय के लिए प्रक्रिया एवं शर्तें :-**

(1) पुस्तकों के क्रय के लिए सामान्यतः दो प्रादेशिक एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रसारित कर इच्छुक पुस्तक विक्रेता/प्रकाशकों से निविदा बुलवाने की कार्यवाही की जायेगी। समाचार पत्रों का चयन कार्यालयीन स्तर पर किया जाएगा। (समाचार पत्र में प्रकाशन का प्रारूप अनुसूची-एक)

(2) पुस्तक क्रय नीति से सहमत पुस्तक विक्रता/प्रकाशक को 10,000 (दस हजार) रूपये की सुरक्षा निधि जमा करना होगी इस हेतु उन्हें 15 माह की सावधि (एफ.डी.) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल एकाउन्ट (फर्म का नाम ....) से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राप्त निविदाओं के साथ सुरक्षा निधि संलग्न नहीं होने पर वह अमान्य समझी जावेगी।

(3क) जो पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक जिन केटलाग्स्/ पुस्तकों की सूची पर कंडिका (5)16 में निर्धारित छूट से अधिक छूट देना चाहते हैं तो वे अपनी अधिकतम छूट उल्लेखित करते हुए बंद लिफाफे में अपना कोटेशन विज्ञापन में उल्लेखित तिथि अनुसार उपलब्ध करायेंगे। ऐसे मामलों में उन केटलाग्स्/सूचियों में उल्लिखित पुस्तकों को चिन्हित कर हस्ताक्षरित व सील लगाकर उपलब्ध करायेंगे. पुस्तकों का क्रय अधिकतम छूट देने वाले पुस्तक विक्रेता से ही किया जायेगा।

(3ख) उपर्युक्त उपनियम 3 क के अंतर्गत प्राप्त केटलाग्स् में उल्लिखित पुस्तकों को छोड़कर अन्य केटलाग्स् में उल्लिखित पुस्तकें पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक से क्रयनीति के नियम (5)16 में उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित डिस्काऊन्ट पर भी क्रय की जा सकेगी. इस हेतु पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक सहमति पत्र सहित अपना कोटेशन सीलबंद लिफाफे में विज्ञापन में उल्लिखित तिथि अनुसार उपलब्ध करायेगें. पुस्तक क्रयनीति की शर्तों के अनुसार ऐसी पुस्तकों का क्रय ऐसे पुस्तक विक्रेताओं से किया जा सकेगा.

(4) रजिस्टर्ड पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को पुस्तकों के नवीनतम संस्करण ,कैटलाग ,पुस्तकों की जानकारी स्वयं के व्यय पर निरंतर भेजने हेतु लिखा जाएगा।

(5) एप्रुवल पर प्राप्त इन पुस्तकों के समिति द्वारा चयन करने के उपरांत क्रयादेश में उल्लिखित विनिर्दिष्ट तिथि तक शतप्रतिशत पुस्तकें पुस्तकालय को सप्लाई की जाना आवश्यक होगी.

विनिर्दिष्ट तिथि के अवसान होने पर एप्रुवल पर देने की चूक करने वाले डिफाल्टर पुस्तक विक्रेता/क्रयादेश देने के बाद पुस्तकों की सप्लाई में चूक करने वाले डिफाल्टर पुस्तक विक्रेता/प्रकाशकों के प्रकरण समिति को संदर्भित किये जायेगें.

ऐसे दोनो डिफाल्टर पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक की पुस्तकें रजिस्टर्ड पुस्तक विक्रेताओं में से उनके दिये गये डिस्काउन्ट के अनुक्रम में समिति द्वारा तय डिस्काउन्ट पर क्रय की जायेगी तथा पुस्तकों के मूल्य की अंतर राशि उनकी जमा धरोहर राशि में से काट ली जायेगी.

(6) ऐसी पुस्तकें जिन्हें पुस्तकालय के लिए क्रय करना अत्यंत आवश्यक हो और यदि पंजीबद्ध पुस्तक विक्रेता कंडिका क्रमांक (5) 16 में उल्लिखित दर पर पुस्तकें देनें हेतु सहमत नहीं हैं तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि पुस्तकालय की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित छूट से कम छूट या बिना छूट के भी पुस्तकें क्रय की जा सकेंगी तथा लोकसभा सचिवालय,स्वतंत्र लेखक, संस्थाओं इत्यादि से निर्धारित छूट से कम छूट या बिना छूट पर ऐसे आवश्यक स्तरीय प्रकाशन अधिकतम पाँच प्रति की सीमा में क्रय किए जा सकेंगे।

(7) पुस्तकालय हेतु अद्यतन तथा नवीन पुस्तकों के क्रय हेतु पुस्तकालय समिति पंजीबद्ध पुस्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त देश के अन्य पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों/संस्थाओं/पुस्तक मेले (पुस्तक मेले से पुस्तकें क्रय करने पर धरोहर राशि की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पुस्तक मेले इत्यादि से पुस्तकों को चयन/क्रय का अधिकार समिति के सभापति महोदय को होगा.)

(8) पुस्तक/पुस्तकों की मांग होने पर अथवा पुस्तकालय में पुस्तकों के अधूरे सेट होने पर जिन्हें पूरा करना आवश्यक हो वह पुस्तक/पुस्तकें जिस किसी भी पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक के पास उपलब्ध है. पुस्तक क्रयनीति द्वारा निर्धारित डिस्काऊन्ट पर वह पुस्तक क्रय की जा सकेंगी. भले ही वह पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक पुस्तकालय में पंजीबद्ध न हो.

(9) ऐसे पुस्तक विक्रेता जिनकी निविदाएं सचिवालय द्वारा मान्य की गई हों उस वित्तीय वर्ष के लिए पुस्तक क्रय हेतु एक लिखित अनुबंध किया जायेगा जिसके अंतर्गत उन्हें निर्धारित अवधि में पुस्तकों का प्रदाय करना होगा।

(10) पुस्तक विक्रेताओं की ओर से एप्रुवल हेतु प्राप्त पुस्तकें, जो चयनित नही हुई हैं, वापस ले जाने की जिम्मेदारी संबंधित पुस्तक विक्रेता की होगी। पुस्तकें वापस नहीं ले जाने की स्थिति में सचिवालय द्वारा छः माह की अवधि में तीन रजिस्टर्ड पत्र भेजे जाने पर भी पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक पुस्तकें वापस नहीं ले जाते हैं तो वह पुस्तकें मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा 'राजसात'कर ली जाएँगी।

(11) प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों के देयकों में पुस्तक विक्रेता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि पुस्तकें संबंधित मूल प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हैं।

(12) प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों का मूल्य सुस्पष्ट मुद्रित हो, स्लिप लगी हुई न हो तथा हाथ से संशोधित मूल्य वाली पुस्तकें मान्य नहीं होगी । विशेष प्रकरण में संबंधित पुस्तक का कैटलाग अथवा प्रकाशक का मूल्य प्रमाणीकरण का पत्र देना होगा ।

(13) विदेशों में प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य प्रमाणीकरण हेतु गुड्स आफिस कमेटी का परिवर्तित मूल्य प्रमाणीकरण क्रयादेश तिथि का देयक में संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(14) पुस्तकालय को प्रदायित समस्त पुस्तकों के नवीनतम् एवं अद्यतन (Up to date) संस्करण होने चाहिए।

(15) प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें कटी-फटी मुड़ी हुई, गंदी एवं धूल धूसरित नहीं होनी चाहिए।

(16) विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर निम्नानुसार छूट पुस्तकालय समिति द्वारा निर्धारित है :-

(1) सामान्य पुस्तकें	20 प्रतिशत
(2) स्वप्रकाशन	30 प्रतिशत
(3) एनसाइक्लोपेडिया/शब्दकोश	30 प्रतिशत
(4) विधिक प्रकाशन	20 प्रतिशत
(5) विदेशी प्रकाशन	20 प्रतिशत
(6) विदेशी प्रकाशन जो संस्था के हैं	10 प्रतिशत
(7) शासकीय प्रकाशन	10 प्रतिशत या नेट पर

(17) निर्धारित अवधि में एप्रुवल हेतु पुस्तकें उपलब्ध न कराये जाने पर या पुस्तकों की सप्लाई न किये जाने पर पुस्तक विक्रेता/प्रकाशकों को एक अवसर ऐसी अवधि हेतु, जो उचित समझी जाएँगी, और दिया जा सकेगा, तत्पश्चात भी पुस्तक न आने पर आदेश निरस्त कर क्रय नीति अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(18) माननीय अध्यक्ष महोदय को पुस्तक क्रय नीति में छूट देने, परिवर्तन करने, किसी प्रस्ताव को अमान्य करने, किसी गैर पंजीबद्ध पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(19) किसी भी विवाद के निपटारे या नियमों के निर्वचन का अधिकार माननीय अध्यक्ष को होगा। जिसे प्रकाशक/पुस्तक विक्रेता को मान्य करना होगा.

(20) न्यायालयीन कार्यवाही के लिये एवं वाद-विवाद के निपटारे हेतु भोपाल जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा.

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय

<u>अन्य शर्ते</u>

1. पुस्तक विक्रेता/प्रकाशकों को स्वयं के व्यय पर पुस्तकें प्रदाय करना होगा.

2. बिल्टी छुड़ाने पर लगने वाले व्यय का भुगतान नहीं करने पर देयक में से राशि काटी जायेगी.

3. नवीनतम प्रकाशित पुस्तकें पुस्तकालय में एप्रुवल पर देनी होंगी.

4. यह आवश्यक नहीं होगा कि एप्रुवल पर प्रदाय पुस्तकें पुस्तकालय द्वारा क्रय कर ली जायेगी.

5. एप्रुवल पर प्रदाय पुस्तकें पुस्तक विक्रेता को 15 दिवस पश्चात् वापस की जायेगी जिसे ले जाने की जिम्मेदारी स्वयं पुस्तक विक्रेता की होगी.

मैंने विधान सभा की पुस्तक क्रय नीति एवं अन्य शर्तें पढ़ ली हैं इससे मैं सहमत हूँ.

पुस्तक विक्रेता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा